



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60682

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -
2820/2026

राघव उर्फ अभिमन्युआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: केशव हरि दीक्षित, जितेन्द्र कुमार, पुरुषोत्तम दीक्षित

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 167/2025, धारा 80(2), 85 बी.एन.एस., 2023 और धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना- ऊसराहार, जिला इटावा के अंतर्गत, विचारण के समापन तक उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। वह निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत चाहते हैं :-
 - i. आवेदक मृतक का जेठ (husband's brother) है।
 - ii. आवेदक का भाई नितिन और मृतक का विवाह 16.05.2019 को हुआ था।
 - iii. पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि मृतक की मृत्यु फांसी लगने के कारण दम घुटने (asphyxia) से हुई है।
 - iv. मृतक का पति फरीदाबाद में काम करता था और मृतक उसके साथ रहने की जिद करती थी। हालांकि, खराब आर्थिक स्थिति के कारण आवेदक का भाई अपनी पत्नी को फरीदाबाद में रखने में असमर्थ था, जिससे पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ और इसी तथ्य के कारण पत्नी ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने जैसा चरम कदम उठाया।
 - v. प्रथम सूचना रिपोर्ट में दहेज की किसी विशिष्ट मांग का खुलासा नहीं किया गया है, और केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं।
 - vi. सह-अभियुक्त नितिन (मृतक का पति) को इस न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 5254/2026 में आदेश दिनांक 13.02.2026 के माध्यम से नियमित जमानत दी जा चुकी है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- vii. यह आवेदक ही था जिसने मृतक को अस्पताल पहुँचाया था और उसका मामला अन्य सह-अभियुक्तों से स्पष्ट रूप से भिन्न है, अतः उसे इस न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाए।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि मृतक की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई है। दहेज की मांग थी और ऐसी मांग के संबंध में उत्पीड़न किया गया, जिसने मृतक को आत्महत्या जैसा चरम कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। आवेदक प्राथमिकी में नामित है। सह-अभियुक्त नितिन को नियमित जमानत मिल चुकी है, लेकिन आवेदक का मामला सह-अभियुक्त के समान नहीं है।
5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों पर विचार किया है।
6. आवेदक छह अन्य अभियुक्तों के साथ प्राथमिकी में नामित है और आवेदक के विरुद्ध विवेचना लंबित बताई गई है। कहा गया है कि आवेदक ही मृतक को सैफई स्थित अस्पताल ले गया था। मृतक के पति को पहले ही इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.01.2026 को जमानत दी जा चुकी है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक ने उन्हीं कारणों से आत्महत्या की होगी जैसा कि आवेदक द्वारा बताया गया है। सूचनाकर्ता के बयान में यह स्वीकार किया गया है कि मृतक का पति फरीदाबाद में अलग रहता था और प्रारंभ में मृतक अपने पति के साथ फरीदाबाद में रही थी, लेकिन बाद में उसे वापस गाँव भेज दिया गया और उसका पति कहता था कि वह उसे अपने साथ रखने में असमर्थ है।
7. ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, आवेदक का मामला मृतक के पति के मामले की तुलना में बेहतर स्थिति में प्रतीत होता है, इसलिए मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित समझता हूँ।
8. आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
9. उपरोक्त मुकदमा अपराध में सलिप्त आवेदक- राघव उर्फ अभिमन्यु की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय के संतोषानुसार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-
- आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध करेगा;
 - आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे;
 - आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
 - आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं;
10. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दी गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निपटारे के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

24 मार्च, 2026

कुशल

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"